

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2016-17/

दिनांक 21.3.17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति -

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत फीस पुनर्भरण हेतु राशि प्रत्याहरण व आवंटन के संबंध में।

विषयान्तर्गत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त पुनर्भरण राशि का प्रत्याहरण/आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

**बजट मद - 2202-01-800-14-00-57(आयोजना व्यय)**

क्र.सं.	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम	प्रत्याहरण	आवंटन
1	1408	भिनाय,अजमेर	27420	0
2	1599	धोद	0	121020
3	1627	बयाना	0	824140
4	1610	लक्ष्मणगढ	0	908030
<b>योग</b>			<b>27420</b>	<b>1853190</b>

**बजट मद - 2202-01-789-04-00-57(आयोजना व्यय)**


क्र.सं.	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम	आवंटन
1	1479	भादरा	1500000
2	1521	कोटाशहर	253600
<b>योग</b>			<b>1753600</b>

**बजट मद - 2202-01-796-11-00-57(आयोजना व्यय)**

क्र.सं.	ऑफिस कोड	कार्यालय का नाम	आवंटन
1.	1458	पदमपुर	1000000
2.	1461	रायसिंहनगर	300000
3.	1488	बाप	500000
4.	1660	भीण्डर	400000
5.	32959	फलासिया	250000
6.	1444	गोगुन्दा	44680
7.	32962	कुराबड	235720
8.	1697	झोटवाडा	1000000
9.	1696	जयपुर पश्चिम	500000
10.	1698	सांगानेर	220000
11.	1700	फागी	214770
12.	1703	आमेर	1000000
13.	1699	दूदू	600000
14.	1653	मनोहरथाना	332780
15.	1655	सुनेल	1000000


16.	1437	उनियारा	1250000
17.	1436	टोक	4000000
18.	1441	निवाई	1200000
19.	1580	अजमेर शहर	6000000
20.	1411	अराई	1046910
21.	1406	जवाजा	1200000
22.	1413	पीसांगन	1200000
23.	1410	श्रीनगर	1200000
24.	1631	बाडी	1000000
25.	32930	सैपउ	1000000
26.	1642	टोडाभीम	2000000
27.	1498	सिणधरी	68400
28.	1495	चौहटन	256780
29.	1497	बायतु	292000
30.	1455	डूंगरगढ	1500000
31.	1454	लूणकरनसर	1000000
32.	1434	मकराना	3000000
33.	1478	नोहर	28000
34.	26051	पीलागंगा	1000000
35.	1477	हनुमानगढ	2000000
36.	26053	टिब्बी	900000
37.	1634	खण्डार	900000
38.	1587	छीपाबडोद	822800
39.	1690	खमनोर	836350
40.	1600	फतेहपुर	900000
योग			57679190

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक फ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.फ.म.स के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक व 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

  
 लेखाधिकारी  
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक निदेशक, आरटीई.अनुभाग।
4. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

  
 लेखाधिकारी